

अति महत्वपूर्ण  
पंचायत उप निर्वाचन, 2023



राज्य निर्वाचन आयोग  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

संख्या-प0नि0 30-156/2021  
प्रेषक,

4377

दिनेश कुमार  
संयुक्त सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला  
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)  
वैशाली।

पटना, दिनांक-23.12.23

विषय :- पंचायत उप निर्वाचन, 2023; हेतु जिला परिषद के प्रा0नि0क्षे0सं0-11 के मतदान  
केन्द्र सं0-42 के संबंध में।  
प्रसंग:- आपका पत्रांक-3413 दिनांक-22.12.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि प्रखंड पातेपुर के अन्तर्गत मतदान केन्द्र संख्या-42 नया पुस्तकालय भवन, सुक्की में नवसृजित थाना हलोचनपुर सुक्की को अस्थाई रूप से संचालित किये जाने के कारण संशोधित मतदान केन्द्र बाल कंजीवाड़ी पुस्तकालय भवन में बनाये जाने के प्रस्ताव पर आयोग का अनुमोदित संसूचित किया जाता है।

अनुरोध है कि मतदान केन्द्रों की संशोधित सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम(1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को भी दी जाए।

विश्वासभाजन

संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या- प.नि.-30-156/2021.....

पटना, दिनांक 23.12.23

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि सहायक मतदान की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करें।

संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या- प.नि.-30-156/2021.....

पटना, दिनांक 23.12.23

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या- प.नि.-30-156/2021.....<sup>4377</sup>

पटना, दिनांक 28/12/23

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव।





बिहार सरकार

समाहरणालय, वैशाली ( हाजीपुर )

( जिला पंचायत कार्यालय )

Email Id :- dpro-va-blh@nic.in



184

पत्रांक :- 3413 /जि0पं0, दिनांक :- 22/12/2023

प्रेषक,  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)  
-सह-  
जिला पदाधिकारी, वैशाली।

सेवा में,  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग,  
बिहार पटना।

विषय :- पंचायत उप निर्वाचन 2023 हेतु जिला परिषद् सदस्य के प्रा0नि0क्षे0 सं0-11 के मतदान केन्द्र संख्या-42 के संबंध में।

प्रसंग :- निर्वाची पदाधिकारी(पं0)-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ के पत्रांक-204/निर्वा0 दिनांक-22.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निर्वाची पदाधिकारी(पं0)-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ द्वारा प्रासंगिक पत्र से पातेपुर प्रखंड अंतर्गत मतदान केन्द्र सं0-42 नया पुस्तकालय भवन, सुक्की में नवसृजित थाना हरलोचनपुर सुक्की को अस्थाई रूप से संचालित किये जाने के कारण संशोधित मतदान केन्द्र बाल कंजीवाड़ी पुस्तकालय भवन में बनाये जाने हेतु प्रपत्र -2 में आयोग के अनुमोदन हेतु भेजा गया है।

विदित हो कि निर्वाची पदाधिकारी(पं0)-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ के पत्रांक-186/निर्वा0, दिनांक-15.12.2023 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-3384 दिनांक-20.12.2023 से ग्राम पंचायत हरलोचनपुर सुक्की में वार्ड सं0-13 का मतदान केन्द्र सं0-42, नया पुस्तकालय भवन सुक्की के स्थान पर ग्राम पंचायत हरलोचनपुर सुक्की के प्रा0नि0क्षे0सं0-14 के लिए निर्धारित मतदान केन्द्र सं0-43 (बाल कंजीवाड़ी पुस्तकालय भवन) को बनाये जाने हेतु अनुमोदन हेतु पत्र भेजा गया है।

अतः उक्त क्रम में निर्वाची पदाधिकारी(पं0)-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ से प्राप्त प्रपत्र-2 संलग्न करते हुए अनुरोध है कि ग्राम पंचायत हरलोचनपुर सुक्की में वार्ड सं0-13 का मतदान केन्द्र सं0-42, नया पुस्तकालय भवन सुक्की के स्थान पर ग्राम पंचायत हरलोचनपुर सुक्की के प्रा0नि0क्षे0सं0-14 के लिए निर्धारित मतदान केन्द्र सं0-43 (बाल कंजीवाड़ी पुस्तकालय भवन) को बनाये जाने हेतु अनुमोदन करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पं0)

-सह-

जिला पदाधिकारी, वैशाली।

183)

1105

## अनुमंडल कार्यालय, महुआ

पत्रांक: 204

दिनांक: 22/12/23

प्रेषक,

निर्वाची पदाधिकारी (जि०परि०)

-सह-

अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं०)

-सह-

जिला पदाधिकारी, वैशाली।

विषय:-

पातेपुर प्रखंड अंतर्गत मतदान केन्द्र सं०- 42 नया पुस्तकालय भवन, सुक्की में नवसृजित थाना हरलोचनपुर को अस्थायी रूप से संचालित किये जाने के कारण संशोधित मतदान केन्द्र बाल कंजीवाड़ी पुस्तकालय भवन में बनाये जाने हेतु अनुशंसा के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रखंड विकास पदाधिकारी, पातेपुर द्वारा आयोग के अनुमोदन हेतु भेजी जाने वाली संशोधित मतदान केन्द्र बाल कंजीवाड़ी पुस्तकालय भवन में नया मतदान केन्द्र हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। चूंकि पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र सं०- 42 नया पुस्तकालय भवन, सुक्की में अवस्थित था जिसमें नवसृजित थाना हरलोचनपुर को अस्थायी रूप में संचालित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पातेपुर से प्राप्त प्रस्ताव को अनुशंसा के साथ आयोग से अनुमोदन हेतु अनुशंसित प्रस्ताव को भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

22.12.23  
निर्वाची पदाधिकारी (जि०परि०)

-सह-

अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ।

| 1                                      | 2  | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                                     | 8                             | 9  | 10  | 11  | 12                              |  |
|--|--|--|---|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|---------------------------------|--|
| पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र की संख्या | पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल | संशोधन हेतु प्रस्तावित मतदान केन्द्र का नाम एवं स्थल | संशोधन का कारण/औचित्य   | मतदान केन्द्र का विस्तार (प्रातिक्षेत्र सं०.....) | मतदाता सूची के आधार पर कुल मतदाताओं की संख्या (क्र.....से ..... तक) | मरण सरकारी/अर्द्ध सरकारी है अथवा नहीं | मवन में कुल कार्यों की संख्या | मतदान केन्द्र तक पहुँचने के लिए मतदाता द्वारा तक की जाने वाली अतिक्रम दूरी | प्रदेश एवं प्रिकास की अलग-अलग व्यक्तियों है अथवा नहीं | मतदान केन्द्र पर पहुँचने एवं मत देने हेतु कनकन बर्न के लिये निर्दिष्ट हॉकर मतदान कर संकट है अथवा नहीं | निर्दिष्ट हॉकर मतदान कर संकट है |  |
| 42                                     | नया पुस्तकालय मवन, सुककी                     | बाल कंजीवाड़ी पुस्तकालय मवन                          | नया पुस्तकालय मवन में नवसृजित शाना हरलोचनपुर को अस्थाई रूप से संवाहित किये जाने के कारण | 13  | 01 से 565   | सरकारी मवन                            | 2                             | 500 मीटर   | हैं   |   |                                 |  |

प्रमाणित किया जाता है कि मतदान केन्द्रों का चयन आयोग के विशा निर्देशों के आलोक में किया गया है। उक्त मतदान केन्द्र पंचायत क्षेत्र में अवस्थित हैं तथा कोई मतदान केन्द्र निजी अथवा धार्मिक स्थल पर स्थापित नहीं किया गया है।

**मुख्य विकास पदाधिकारी**  
**पातोपुर (वैशाली)**

**निर्वाची पदाधिकारी (जि० प०)**  
**अनुभवदल पदाधिकारी, ऋजुआ (वैशाली)**

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (प०)  
जिला पदाधिकारी, वैशाली

जिला पंचायत राज पदाधिकारी  
वैशाली

उप विकास आयुक्त  
वैशाली

मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित  
मुख्य निर्वाचन आयोग, बिहार

